

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/2019 अपील (राजस्व)

1. श्री दिनेश चन्द्र चांगवाल पिता स्व. श्री दौलतराम चांगवाल ,निवासी मकान नम्बर 855/17, एवन स्कूल के पास युनिवर्सिटी रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री मोहनलाल चांगवाल पिता स्व. श्री दौलतराम चांगवाल ,निवासी मकान नम्बर 855/17, एवन स्कूल के पास युनिवर्सिटी रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री नरेन्द्र चांगवाल पिता पिता स्व. श्री दौलतराम चांगवाल ,निवासी मकान नम्बर 855/17, एवन स्कूल के पास युनिवर्सिटी रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रमेश चांगवाल पिता स्व. श्री दौलतराम चांगवाल ,निवासी मकान नम्बर 855/17, एवन स्कूल के पास युनिवर्सिटी रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती दुर्गा बाई पत्नि स्व. श्री दौलतराम चांगवाल ,निवासी मकान नम्बर 855/17, एवन स्कूल के पास युनिवर्सिटी रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 4726 तहसीलदार (भू.अ.) गिर्वा, जिला उदयपुर दिनांक 04.03.16

उपस्थित : श्री धर्मेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्तगण
श्री नरेन्द्र चितौडा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांक:—27.11.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त द्वारा एक अपील तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं 4726 दिनांक 04.03.16 से क्षुब्ध

होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व.श्री दौलतराम जी चांगवाल द्वारा दिनांक 08.09.06 को अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था वसीयत के अनुसार की गई। उसी अनुरूप पक्षकार उस पर काबिज है। व्यवस्था में रेस्पोजेन्ट सं. 3 को सम्पत्ति में से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया और श्रीमती दुर्गा बाई को सम्पत्ति में केवल राईट टू लिव एवं भरण पोषण का अधिकार दिया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 3 को स्व. श्री दौलतराम जी चांगवाल की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है और ना ही दिया गया था। यदि उनके द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है तो वह दस्तावेज शून्य की श्रेणी में आता है। दिनांक 08.09.06 को स्व.श्री दौलतराम जी चांगवाल द्वारा निष्पादित दस्तावेज पर अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 के हस्ताक्षर है। जिससे सम्पत्ति व्यवस्था से यह बाध्य है। निष्पादित दस्तावेज में नक्शा भी लगा हुआ है। निष्पादित दस्तावेज के पेरा 9 में सम्पत्ति का स्पष्ट वर्णन अंकित है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 उसे निष्पादित दस्तावेज के आधार पर ही भूमि प्राप्त कर सकते हैं और बंटवाडा कर सकते हैं एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी है। परन्तु स्व.श्री दौलतराम जी चांगवाल के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा बिना बताये राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र, शपथपत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि रेस्पोजेन्ट सं. 1 को पूर्व से ज्ञात था कि निष्पादित दस्तावेज में सम्पत्ति की व्यवस्था किस प्रकार कर रखी है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 के प्रार्थनापत्र पर हल्का पटवारी द्वारा बिना मौका देखे ही बिना उत्तराधिकारियों से पूछे नामान्तकरण खोल दिया। रेस्पोजेन्ट सं. 4 द्वारा पारित कर दिया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 ने भूमि एवं सम्पत्ति पर कब्जा एवं व्यवस्था वर्ष 2006 से निरन्तर बिना किसी बाधा के उक्त लिखतम के आधार पर कर रहे थे। तो वर्ष 2016 में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में दिनांक 08.09.06 की लिखतम का हवाला देकर नामान्तकरण को खुलवाना चाहिए था जो नहीं खुलवाया जिससे नामान्तकरण निरस्त योग्य हैं। रेस्पोजेन्ट सं. 4 का भी दायित्व था कि स्व. दौलतराम जी चांगवाल के सभी विधिक वारिसानों को सुन कर ही नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। अपीलान्टों को बिना सुने पारित नामान्तकरण से अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सके ऐसी स्थिति में सभी वारिसानों को सुन कर नामान्तकरण पुनः खोला जाने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करें। रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त नामान्तकरण के संबंध में चुप रहने के बाद मिथ्या आधारों पर बंटवाडे का वाद भी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अपीलान्ट पक्षकार है। रेस्पोजेन्ट सं. 3 द्वारा जो हकत्याग किया गया है। उसमें अपने हिस्से का भी कोई अंकन नहीं है। दिनांक 08.09.06 की लिखतम अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा रेस्पोजेन्ट सं. 3 का रहा ही नहीं है। जिससे ऐसा हकत्याग भी शून्य की श्रेणी में आता है। विधि में यह सिद्धान्त सुस्थापित है कि जहां पक्षकार किसी भी दस्तावेज के एक भाग को स्वीकार करता है तो उसमें वर्णित सभी भाग को स्टोपल के सिद्धान्त के आधार पर मानना पडेगा और यह उप धारणा मानी जायेगी कि सभी पक्षकार ने पूरे दस्तावेज का अनुसरण कर लिया है। दस्तावेज दिनांक

08.09.06 के भाग की स्वीकारोक्ति रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा कर ली गई है। तो उसी अनुसार रेस्पोजेन्ट नामान्तकरण व हिस्सा कराने के अधिकारी है। उक्त मिथ्या दस्तावेज एवं जानकारी के अभाव में खोले गये नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोजेन्टगण ने मिथ्या हकत्याग कराते हुए उसके अनुसरण में खोला गया अपीलिय नामान्तकरण खारीज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 4726 दिनांक 04.03.16 को निरस्त फरमाते हुए प्रकरण को रिमाण्ड इस निर्देश के साथ में प्रेषित किया जावे कि अपीलान्टगण को अपना पक्ष एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से नामान्तकरण का निस्तारण करे।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत बंटवाडे के सम्मन प्रार्थीगण को दिनांक 01.01.19 को प्राप्त हुए तब जानकारी में आया कि उक्त बंटवाडे अनुसार हिस्सा नहीं हुआ है। जिस पर नामान्तकरण की नकल दिनांक 10.01.19 को प्राप्त की। नामान्तकरण की दिनांक से जानकारी की दिनांक तक का समय कण्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः यह समय कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तोडा उपस्थित हुए।

रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व.श्री दौलतराम जी चांगवाल की मृत्यु दिनांक 30.08.13 को हुई। अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। ना ही दिनांक 08.09.06 को कोई वसीयती दस्तावेज निष्पादित किया था। दौलतराम जी की मृत्यु निर्वसीयत हुई तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के उनके प्रथम श्रेणी में वारिसान में अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 3 थे तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी वारिसानों के नाम विरासत से विधिवत रूप से नामान्तकरण सक्षम अधिकारी द्वारा खोला गया है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट सं. 3 को पिता की सम्पत्ति में विरासत से अधिकार प्राप्त हुआ। जिससे उनको उक्त सम्पत्ति में अपने हिस्से को हस्तान्तरण व अन्तरण का अधिकार प्राप्त हुआ है। दिनांक 08.09.06 को ऐसा कोई दस्तावेज ही निष्पादित नहीं हुआ जिसकी व्यवस्था से रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 बाध्य हो। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार उनके प्रथम श्रेणी के सात वारिसान होने से सातों को 1/7 हिस्सा विरासत से प्राप्त हुआ। नामान्तकरण विधिवत रूप से खोला गया है जिसे अपीलान्टगण को कोई अधिकार नहीं है। नामान्तकरण में प्रत्येक वारिसान को सुनने की व सम्मन भेजने की आवश्यकता नहीं है तथा न ही विधि में ऐसी कोई प्रक्रिया या व्यवस्था है। सभी वारिसानों के बारे में खोले गये नामान्तकरण में

अपीलान्ट ने भी कोई आपत्ति इस अपील में नहीं की है। विरासत से आयी सम्पत्ति में अपने हिस्से के बंटवाड़े का अधिकार रेस्पोंडेंट को है एवं रेस्पोंडेंट सं. 3 ने जो हकत्याग किया है वह विधिवत है। विरासत से मिली सम्पत्ति का हकत्याग किया गया है जो विधिवत है। रेस्पोंडेंट सं. 3 द्वारा जो हकत्याग पत्र दिनांक 11.10.16 को निष्पादित किया गया था जो विरासत से प्राप्त भूमि का ही किया गया है। जिसका उन्हें अन्तरण करने का पूरा अधिकार था। जिसको चुनौति देने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। 3 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारीज योग्य है। अपीलान्ट को नामान्तकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी एवं श्री दौलतराम जी चांगवाल की मृत्यु निर्वसीयत हुई है तथा उन्होंने कोई सम्पत्ति की व्यवस्था व वसीयत नामा निष्पादित नहीं किया था, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात विधिवत रूप से नामान्तकरण खोला गया है, जिसको चुनौति देने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। मयाद में लेने के लिए किये गये कथन झूठे हैं जिसके आधार पर ही अपील खारीज फरमायी जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौलतराम जी मृत्यु निर्वसीयत हुई तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 तक थे। जो अपने पिता की सम्पत्ति में विरासत से अधिकार प्राप्त हुआ। जिससे उनको उक्त सम्पत्ति में अपने हिस्से को हस्तान्तरण एवं अन्तरण का अधिकार प्राप्त हुआ। दिनांक 08.09.06 को स्व. दौलतराम जी चांगवाल द्वारा अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था के लिए कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया। उनकी मृत्यु पर प्रथम श्रेणी के सात वारिसान होने से सातो को 1/7 हिस्सा विरासत से प्राप्त हुआ। राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण खुलवाये जाने हेतु विधिवत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी द्वारा नियमों के तहत कार्यवाही कर नामान्तकरण भरकर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को नामान्तकरण की अपील का कोई अधिकार नहीं है। खोले गये नामान्तकरण के आधार पर विधिवत रूप से बंटवाड़े का वाद भी प्रस्तुत किया गया है। विरासत से आयी सम्पत्ति में अपने हिस्से के बंटवाड़े का अधिकार रेस्पोंडेंट को है एवं रेस्पोंडेंट संख्या 3 को विरासत से प्राप्त सम्पत्ति का हकत्याग किये जाने का भी अधिकार है। हकत्याग विधिवत रूप से हुआ है। उसका नामान्तकरण भी विधिवत रूप से हुआ है। तीन वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है जो भी झूठे कथनों के आधार पर की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 5 अधिनियम का जवाब शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय में सम्पत्ति का विभाजन एवं निषेधाज्ञा की दाद चाही गई है। प्रस्तुत अपील से पूर्व

ही रेवेन्यु वाद विचाराधीन था। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद के नम्बर 87/18 जिसमें काउन्टर वाद भी प्रस्तुत किया गया है। काउन्टर वाद की प्रति को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रति प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट के पिता श्री दौलतराम जी चांगवाल का स्वर्गवास दिनांक 30.08.13 को हो गया। जिनके द्वारा अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था के संबंध में एक पारिवारिक समझौता नामा दिनांक 08.09.06 को निष्पादित किया गया जिस पर अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर हैं। स्टोपल के सिद्धान्त से अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 दिनांक 08.09.06 के दस्तावेज की पालना से बाध्य है। परन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा दौलतराम जी चांगवाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेंटों को बिना बताये पटवारी से मिलीभगत कर नामान्तकरण विरासत से खुलवाकर रेस्पोंडेंट संख्या 4 से गुपचुप तरीके से प्रमाणित करवा लिया गया। जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 1 को अच्छी तरह से जानकारी थी कि दिनांक 08.09.06 को जो पारिवारिक समझौता नामा सम्पादित किया है उसी अनुरूप भूमि का राजस्व अभिलेख में दर्ज होना चाहिए था। उसी दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2006 से मौके पर अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंटगण काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेंट संख्या 4 द्वारा भी बिना मौका देखे बिना अपीलान्ट व रेस्पोंडेंटगणों को सुने विरासत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें सुना जाता तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त पारिवारिक समझौता नामा से भी अवगत कराया जाता। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में इसी वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किये जाने का वाद भी प्रस्तुत कर दिया गया है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा हकत्याग भी दिनांक 11.02.16 को कर दिया गया है। जिसमें अपने हिस्से का अंकन नहीं है। जिसका भी नामान्तकरण खुलवा लिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्टगण व रेस्पोंडेंटगण को सुने बिना खोले गये नामान्तकरण विधि अनुरूप नहीं होने से उसे निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सुन कर नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के संबंध में निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से प्राप्त बंटवाडे के वाद के नोटिस प्राप्त होने पर विरासत के नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। जिस पर तत्काल पटवारी से जानकारी कर अपील प्रस्तुत की गई। विरासत से खोले गये नामान्तकरण में अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया। अतः मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अपने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के संबंध में निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई

विपरीत प्रभाव नहीं पडने वाला है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपील अपीलान्ट को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि स्व.दौलतराम जी चांगवाल द्वारा दिनांक 08.09.06 को किसी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता नामा दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज है जिस पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो। श्री दौलतराम जी का दिनांक 30.08.13 को निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात उनके नाम दर्ज भूमि को विरासत के आधार पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जो कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 है, कुल सातों वारिसानों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र विधिवत रूप से पटवारी हल्का के पास प्रस्तुत किया गया जिनके द्वारा अपने स्तर से जांच कर विरासत का नामान्तरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेंट संख्या 4 से फैसल करवाया। विरासत के नामान्तरण के दर्ज व फैसल में किसी भी विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। सारी कार्यवाही हिन्दु उत्ताधिकारी अधिनियम के तहत ही हुई है। विरासत से प्राप्त भूमि का हकत्याग किये जाने का प्रावधान होने से रेस्पोंडेंट सं. 3 द्वारा हकत्याग किया गया है। जिसका नामान्तरण भी हो चुका है। अपीलीय नामान्तरण जो कि विरासत से राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसका बंटवाडा कराये जाने का प्रावधान होने से उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद भी नियमानुसार है। अतः निवेदन है कि श्री दौलतराम जी चांगवाल जो कि हमारे पिता होकर उनकी मृत्यु निर्वसीयत हुई है। उनके जीवनकाल में उनके द्वारा सम्पत्ति की व्यवस्था व वसीयत नामा निष्पादित नहीं किया था। इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात विधिवत रूप से नामान्तरण खोला गया है जिसे चुनौति देने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

मियाद बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरण जो कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने बिना सुचना दिये पारित किया गया हैं। ऐसे नामान्तरण की अपील किसी भी समय की जा सकती हैं। अपील करने की कोई मियाद अवधि नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलान्ट का मयाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित हैं।

अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्रकरण में प्रस्तुत काउन्ट वाद की प्रतियां ही है। जिन्हे रेकार्ड पर लिये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ना ही इन दस्तावेजो को रेकार्ड पर लिए जाने पर प्रकरण के निस्तारण में कोई प्रभाव पडता है। अतः अपीलान्ट का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता नामा जिसकी छायाप्रति पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त पारिवारिक समझौता नामा 100/- के स्टाम्प पर निष्पादित होकर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। प्रस्तुत अपीलीय नामान्तकरण की सच्ची छायाप्रति संलग्न है। अपीलीय नामान्तकरण विरासत से रेस्पोंडेन्ट सं. 3 श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी स्व. श्री दौलतराम माली 1/7 हिस्सा दर्ज होकर उनके द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग व रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रस्तावित अंकन होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तकरण सं. 4726 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा खातेदार दुर्गा बाई पत्नी स्व. श्री दौलतराम जी द्वारा अपना दर्ज हिस्सा हकत्याग से नरेन्द्र व रमेश जो कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 हैं जिनके नाम पर रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से हकत्याग किये जाने से पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोला गया नामान्तकरण है। रेस्पोंडेन्ट सं. 3 को उक्त भूमि जरिये विरासत से प्राप्त हुई है, जिसे रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 के हक में हकत्याग से अन्तरित की गई है। रेस्पोंडेन्ट सं. 1, 2, 3 आपस में माता व पुत्र हैं व विरासत से प्राप्त भूमि का हकत्याग किया जा सकता है। खोला गया नामान्तकरण पंजीकृत दस्तावेज हकत्याग के आधार पर खोला गया है। नामान्तकरण खोले जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलान्तगणों का मुख्य आरोप पारिवारिक समझौता नामा को लेकर है। जिसे रेस्पोंडेन्टगणों द्वारा अमान्य कर दिया गया है। उक्त पारिवारिक समझौता नामा अनरजिस्टर्ड है, जिस पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की राय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। खोला गया नामान्तकरण रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही खोला गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपील अपीलान्त खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

